Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.3982, Volume 07, No. 04, October, 2017, pp. 358-361

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

(प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नवीन प्रारूप का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

डॉ. विनिता अग्रवाल*

सारांश

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विलय करके तैयार किया गया नवीन एवं सुधरा हुआ प्रारूप है। 31 मार्च, 2008 को इन दोनों योजनाओं का समाप्त करके भारत सरकार द्वारा एक नवीन, व्यापक, अनुदानित, वित्त पोषित एवं सुधरी हुई स्वरोजगार योजना तैयार की गई। इस योजना की शुरूआत 14 अगस्त, 2008 से की गई है। प्रस्तुत लेख में दोनों योजनाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

परिचयः

देश के विभिन्न वर्ग के लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की हमेशा से ही प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मन्त्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विलय कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से एक नई योजना की शुरूआत 14 अगस्त 2008 से की है। जो मूल रूप से दोनों योजनाओं का प्रभावी एवं सुधारा हुआ प्रारूप है।

उद्देश्यः

1. नई स्वरोजगार परियोजनाओं एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के द्वारा देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
2. परम्परागत शिल्पकारों एवं ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवकों का साथ लेकर उनके स्थान पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. गॉवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए बेरोजगारों एवं कारीगरों का निरन्तर रोजगार प्रदान करना।
4. कारीगारों की मजदूरी अर्जन क्षमता में वृद्धि करना एवं ग्रामीण एवं शहरी रोजगार की दर में वृद्धि करना।

पात्रताः

(1) **आयुः** इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की न्युनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, परन्तु अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में अधिकतम आयु 40 वर्ष थी। इस प्रकार यह योजना पूर्व योजना से अधिक लाभदायक है क्योंकि भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी में अधिक उम्र के बेरोजगार भी इस योजना का लाभ उठा सकते है।

(2) शैक्षणिक योग्यताः प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भॉति इस रोजगार कार्यक्रम में लाभार्थी की न्युनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीण माना गया है, परन्तु प्रस्तुत कार्यक्रम में यह शैक्षणिक योग्यता की शर्त केवल विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख एवं सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए है। जबकि पूर्व योजना में न्युनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त सभी लाभार्थियों पर लागु थी। इस प्रकार इस कार्यक्रम को शिक्षा योग्यता के क्षेत्र में भी अधिक उदार बनाया गया है।

(3) संस्थागत लाभार्थीः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यक्तियों के अलावा स्वयं सहायता समूह, पंजीकृत सहकारी समितियॉ (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत), उत्पादन सहकारी समितियॉ, दानदाता न्यास भी नया उद्यम प्रारम्भ करने हेतु योजना का लाभ उठा सकते है। जबकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में केवल व्यक्ति ही योजना का लाभ उठा सकते थे। इस प्रकार इस कार्यक्रम के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाया गया है परन्तु साझेदारी

* व्याख्याता, पौद्दार इन्टरनेशनल पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

संस्था, कम्पनियाँ, संयुक्त उद्यमी, संयुक्त न्यासी का आबलीगेटर, संयुक्त हिन्दु परिवार इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत केवल स्थापित की जाने वाली नई इकाईयों को ही सहायता प्रदान की जायेगी। राज्य या केन्द्र सरकार की किसी योजना में अनुदान लाभ ले चुकी या ले रही इकाईयॉ वर्तमान योजना हेतु पात्र नहीं होगी।

(4) आय सीमा एवं निवास स्थानः प्रस्तुत कार्यक्रम में परियोजना की स्थापना के लिए कोई आय सीमा नहीं है जबकि प्रधानमंत्री रोजगार में आय की अधिकतम सीमा रू. 40,000/–थी। इसी प्रकार प्रस्तुत कार्यक्रम में निवास स्थान की भी कोई समय सीमा नहीं है। पूर्व योजना के अन्तर्गत आवेदक उस जिले के कम से कम 3 वर्षो के स्थायी निवासी होना चाहिए। इस प्रकार नये कार्यक्रम की पहुँच समाज के हर वर्ग में है, उनका सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा पृष्ठभूमि चाहे जो हो, वह चाहे जहॉ का रहने वाला हो।

(5) परिवार : इस कार्यक्रम में एक परिवार (पति या पत्नि) में से केवल एक व्यक्ति ही वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।

कार्यक्षेत्र एवं संवृत क्रियाऐंः

अधोलिखित निषिद्ध सूची में उल्लेखित परियोजनाओं को छोड़कर सभी उद्योग इस परियोजना में शामिल किये गये है बशर्ते कि कुल परियोजना लागत विनियोग ईकाई के लिये अधिकतम 25 लाख रूपये एवं सेवा ईकाई के लिये 10.00 लाख रूपये हो। पूर्व योजना में कुल 137 क्रियाओं को ही शामिल किया गया था। इस प्रकार वर्तमान योजना को अत्यधिक विस्तृत कर दिया गया है।

निषिद्ध कार्यो की सूचीः

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यो के लिए उद्यम या ईकाई स्थापित करने की अनुमति नही हैः–

(1) मांस से जुडे उद्योग या ईकाई अथवा उसका प्रसंस्करण, डिब्बा बन्दी या मांसाहारी खाद्य पदार्थ आदि, कोई ऐसा होटल या ढ़ाबा जहॉ शराब या मांसाहारी भोजन परोसा जाता हो।

(2) बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय। साथ ही कच्चे माल के रूप में तम्बाकू का प्रयोग, ताड़ी निकालना एवं बेचना।

(3) चाय, कॉफी, रबर आदि के बागान सहित फसलों की खेती से जुडे उद्योग या कार्य, रेशम पालन (कूकन पालन), बागवानी, हार्वेस्टर सहित पुष्पोधानिकी, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गीपालन जैसे पशुपालन कार्य।

(4) 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन की थैलियों का विनिर्माण और पुनः एकीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।

(5) कताई एवं बुनाई कार्यक्रम से संबंधित उद्योग।

(6) ग्रामीण परिवहन (अण्डमान व निकोबार में ओटो रिक्शा, जम्मू एवं कश्मीर में हाऊस बोट, शिकारा, पर्यटन नौका एवं साईकिल रिक्शा को छोड़कर)

(7) राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियॉ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना में इस प्रकार निषिद्ध कार्यो की सूची नहीं थी परन्तु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में इस प्रकार कतिपय गतिविधियों को योजना में शामिल न करके एक ओर सामाजिक उत्तरदायित्व (पशुबध, पर्यावरण सुरक्षा, नशामुक्ति आदि) का निर्वाह किया है वहॉ दूसरी ओर उद्योगों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा पर रोकथाम की है।

वित्तीय सहायताः

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बेरोजगारों के लिए बैंक ऋण (अनुदान सहित) से स्वरोजगार उद्यम प्रारम्भ करने का एक सुनहरा अवसर है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार है।

(1) परियोजना लागतः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से परियोजना लागत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है परन्तु यह कहा गया है कि इस योजना के अन्तर्गत उद्यम स्थापित करने के लिए 25 लाख तक (व्यापार एवं सेवा की दशा में 10 लाख तक) की परियोजना लागत का 15–35 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जायेगा। परियोजना लागत में पूँजीगत खर्चे एवं एक चक्र कार्यशील पूँजी का समावेश होगा परन्तु परियोजना लागत में भूमि की कीमत शामिल नहीं की जायेगी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में परियोजना लागत अधिकतम सीमा 2 लाख रूपये (साझेदारी की दशा में 10 लाख रूपये) थी अर्थात् बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए परियोजना लागत सीमा में वृद्धि करके आवेदकों को राहत प्रदान की गई है। योजना में यह भी बताया गया है कि बैंक सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत ऋण राशि एवं विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को 95 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत करके भुगतान करेंगे। बैंक परियोजना की स्थापना के लिए सम्पूर्ण स्वीकृत राशि जारी करेंगे।

(2) अनुदानः नये उद्यमी हेतु उपक्रम स्थापित करने के लिए अनुदान राशि एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है क्योंकि इससे कुल ऋण की लागत एवं किश्तों की मात्रा में कमी आतह है। अतः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के आवेदकों को शहरी क्षेत्र की दशा में 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र की दशा में 25 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांग एवं सीमावर्ती क्षेत्र के आवेदकों को शहरी क्षेत्र की दशा में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र की दशा में 35 प्रतिशत अनुदान राशिप्रदान की जाती है। पूर्व योजना में अधिकतम अनुदान 15,000/– रूपये थी, जो बहुत कम थी।

(3) सीमान्त राशिः नये उद्यमियों द्वारा उद्यम की सफलता हेतु निजी स्वार्थ जागृत करने हेतु बैंक ऋण प्रदान करने में सीमान्त राशि जमा करवाती है। इस योजना में भी सामान्य श्रेणी के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी के आवेदकों को मात्र 5 प्रतिशत सीमान्त राशि बैंक में जमा करानी पड़ती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सीमान्त राशि 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर विवेकपूर्ण किया गया हैं सीमान्त राशि, बैंक में जमा कराने के पश्चात् की ऋण की प्रथम किश्त जारी की जाती है।

(4) संपार्श्विक प्रतिभूतिः बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में गारन्टी की मांगी की जाती है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए एक गम्भीर समस्या है। अतः प्रस्तुत योजना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 10. 00 लाख रूपये तक की ऋण राशि बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रदान करना अनिवार्य है। पूर्व योजना में यह राशि मात्र 2 लाख रूपये (व्यक्ति हेतु) एवं 5 लाख रूपये साझेदारी हेतु निर्धारित की गई थी जो बहुत ही कम थी।

(5) ब्याज दर एवं भुगतान अवधिः योजना में सामान्य दर से ब्याज लिया जाता है। भुगतानअवधि 3–7वर्ष रखी गई है।

(6) वित्तीय संस्थाऐंः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु 27 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, अनुमोदित सहकारी बैंक, निजी क्षेत्र की अनुसूचित व वाणिज्यिक बैंक ऋण उपलब्ध कराती है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (अनिवार्य प्रशिक्षण):

प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम में आवेदकों में उद्यमिता विकास एवं कुशल प्रबन्ध हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। बैंक द्वारा उद्यमी को ऋण जारी करने से पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र लेकर पोर्टल पर जानकारी अपलोड़ करना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण उद्यमिता विकास कार्यक्रम, चातुर्य विकास कार्यक्रम, उद्यमिता मय चातुर्य विकास कार्यक्रम एवं वोकेशनल प्रशिक्षण से सम्बन्धित होता है। प्रशिक्षण की समयावधि दो सप्ताह की होगी। 5.00 लाख रूपये तक की परियोजना लागत वाले उद्यमियों को 6 दिन एवं इससे अधिक की परियोजना लागत वाले उद्यमियों को 10 दिन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। पूर्व योजना में यह समय 7–10 (सेवा एवं व्यवसाय हेतु) एवं 15–20 (निर्माण उद्योग हेतु) दिवस था। बैंक ऋण की स्वीकृति के बाद प्रशिक्षण हेतु योजना के अन्तर्गत निर्धारित संस्थाओं को ओवदकों के नाम अग्रेषित करेंगे।

कार्यान्वयन अभिकरणः

राष्ट्रीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई को एक मात्र नोड़ल ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है। आयोग के अतिरिक्त राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं राज्य सरकार के समस्त ग्रामीण एवं शहरी जिला उद्योग केन्द्र भी इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी है। ये सभी संस्थाऐं गैर सरकारी संगठन (छळस्वे), सेल्फ हेल्प ग्रुप, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना के अन्तर्गत कार्यरत उद्यमी मित्र, पंचायती राज संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं बैंकों की सहायता से कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करती है।

प्रबन्ध एवं संचालनः

(1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लाभार्थियों की पहचान जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है।

(2) टास्क फोर्स का गठन इस प्रकार होता है :–

(i)	जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी कमीशनर/जिलाधीश	अध्यक्ष
(ii)	PD - DRDA / EO . जिला परिषद	उपाध्यक्ष
(iii)	लीड बैंक मैनेजर	सदस्य
(iv)	KVIC/KVIB/DIC के प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	NYKS/SC/ST विभाग के प्रतिनिधि	विशेषज्ञ आमंत्रित
(vi)	MSME-DI, ITI, Polytechnic के प्रतिनिधि	विशेषज्ञ आमंत्रित
(vii)	पंचायत के प्रतिनिधि (जिलाधीश द्वारा नामित)	3 सदस्य
(viii)	संबंधित जिला उद्योग केन्द्र का महाप्रबंधक	सदस्य संयोजक

(3) 01 मई 2016 से आवेदन ऑनलाईन ;व्दसपदमद्ध भरना अनिवार्य है।

(4) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रकाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है :
(अ) जाति प्रमाण–पत्र
(ब) विशेष श्रेणी प्रमाण–पत्र (आवश्यकता होने पर)
(स) ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण–पत्र
(द) परियोजना प्रतिवेदन
(य) प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र
(र) रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र (संस्थागत आवेदक होने पर)।

(5) टास्क फोर्स की 01 माह में एक बार मिटिंग होगी जिसमें आवेदन पत्रों को स्वीकार एवं अस्वीकार किया जाता है।

(6) PMEGP की ईकाई स्थापना का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन अधिकृत अधिकारी/संस्था द्वारा होना अनिवार्य है।

(7) परियोजना के अन्तर्गत स्थापित ईकाई को आयोग विपणन सहायता भी उपलब्ध कराता है।

(8) आयोग द्वारा परियोजना से संबंधित कार्यशालाऐं एवं प्रदर्शनियॉ का आयोजन भी किया जाता है।

मूल्यांकनः

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के एक अध्ययन के अनुसार प्रस्तुत योजना में लाभार्थियों की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है। इस योजना में अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या निम्न सारणी में स्पष्ट है।

सारणी : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों

वर्ष	लाभार्थी	वार्षिक (प्रतिशत)	सुचकांक (प्रतिशत)
2012-13	4,28,246	--	100.00
2013-14	3,78,907	11.52	88.48
2014-15	3,57,502	5.65	83.48
2015-16	3,23,000	9.66	75.42

स्त्रोत : दैनिक भास्कर, जयपुर, 21 सितम्बर, 2017

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि योजना के लाभार्थियों की संख्या में तीव्र गति से गिरावट हो रही है। पिछले चार वर्षो में 25 प्रतिशत तक गिरावट हुई है। उक्त अध्ययन के अनुसार* इसका प्रमुख कारण ऋण स्वीकृति में देरी एवं बैंकों द्वारा ऋण के विरूद्ध गिरवी/गारन्टी मांगना है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन में भी काफी समय लग रहा है। इसके लिए अध्ययन में लाभार्थियों एवं बैंकों के मध्य मुख्य संपर्क सूत्र–फील्ड अफसरों की संख्या में वृद्धि करने, बैंकों द्वारा ऋण स्वीकार करने की सीमा (60 से 90 दिन) तय करने एवं केश क्रेडिट का अनुपात घटाकर 40 प्रतिशत करने आदि के सुझाव दिये गये है। यद्यपि उक्त योजना भारतीय युवकों को बिना जाति, उम्र, आयु एवं क्षेत्र के भेदभाव स्थायी रोजगार प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध हुई है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूचीः

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर, 2017
- दैनिक भास्कर जयपुर, 21 सितम्बर, 2017
- New Parameters of PMRY, Development Commissioner Small Scale Agro and Rural Indusries, New Delhi, 1999
- Operatioal Guidelines of PMRY, District Industries Centre, Jaipur 2000
- www.kvic.org.in
- www.pmegp.in

❑❑❑

* यह अध्ययन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली हेतु डवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट, गुरूग्राम ने किया है।